न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान

आई.ए.एस.

अपील संख्या 170/2020

1. विनोद पुत्र सत्यनारायण, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 51, मोतीसिंह की ढाणी, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. बजरंग लाल पुत्र कुरड़ाराम जाति माली, निवासी वार्ड नं0 51, मोतीसिंह की ढाणी, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए भूमि धारक तहसीलदार झुंझुनूं।
2. ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री नन्दलाल सैनी, जलाति माली, निवासी अशोक नगर, बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. कालीचरण पुत्र नागरमल, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 51, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्टस

––

अपील निरस्त करवाने नामान्तरकरण संख्या 4157 स्वीकृत दिनांक 12.02.2020 कस्बा झुंझुनूं

––

उपस्थित

1. श्री ओमप्रकाश सैनी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
2. श्री सुरेश कुमार सैनी, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 3 की ओर से
3. मदन कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से.

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:32:59 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 30.03.2021

उक्त विवादक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 12.02.2020 नामान्तरकरण संख्या 4157 वाके कस्बा झुंझुनूं के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की ओर से अपील इस प्रकार पेश है कि राज्य सरकार द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ते को समस्या निराकरण अभियान के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने हेतु रास्तों का प्रस्ताव जरिये तहसीलदार को

A 4/2

उनको राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का परिपत्र दिनांक 16.08.2016 को जारी किया गया था
न सं0 प.3(2) राजस्व 6/2003/पार्ट जयपुर के उक्त कमांक के अनुसार झुंझुनूं कस्बा मे
खेतों का रास्ता जो खसरा नम्बर 2181, 2186, 2185 व 2199 मे प्रचलित रास्ता जाता था
पटवारी व तहसीलदार ने जांच कर उक्त राज्य सरकार के आदेश के अनुसार उक्त खसरा
मे रास्ता प्रचलित था उसको राजस्व रिकार्ड मे अनुशंषा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं मे
की गई थी उक्त अनुशंषा के अनुसार उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा दिनांक 09.12.2016 को
सरा नम्बरान प्रचलित रास्ते को कटान करने का आदेश दिया जिसके फलस्वरूप संभागीय
जयपुर मे एक अपील संख्या 323/19 शीर्षक ख्यालीराम बनाम राजस्थान सरकार के नाम से
प्रस्तुत की थी जिसमे संभागीय आयुक्त ने दिनांक 11.12.2019 को अपील स्वीकार कर
पुनः उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनूं को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि
उभय पक्षों को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए
विधि सम्मत निर्णय पारित करे। संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 11.12.2019 के अनुसार
भी उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनूं मे विचाराधीन है परन्तु इस प्रकरण मे तहसीलदार
झुंझुनूं ने दिनांक 21.02.2020 को नामान्तरकरण संख्या 3583 मे खसरा नम्बर 2181, 2186,
पुनः बट्टा नम्बर देते हुए जिसमे खसरा नम्बर 4467/2187, 4468/2186, 4469/2185
बारान् दर्ज कर रकबा कमशः 0.06, 0.05, 0.03 की भूमि को पुनः खातेदारी मे दर्ज कर दी
यह मामला उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनूं मे विचाराधीन है। इसी दौरान तहसीलदार ने
संभागीय आयुक्त का हवाला देते हुए दिनांक 12.02.2020 को उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के
दिनांक 09.12.2016 के अनुसार रास्ते की इन्द्राजात को पुनः बदला है इस नामान्तरकरण मे किस
प्रार्थना पत्र दिया जाकर तहसीलदार से नामान्तरकरण दर्ज करने का नाम दर्ज नही किया
व्यक्ति द्वारा तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किया है अथवा तहसीलदार अपने स्वविवेक से
रास्ता को रास्ता हटा कर खातेदारी भूमि दर्ज की है उसका रीजन नही बताया है जबकि अभी
उपखण्ड अधिकारी न्यायालय मे विचाराण्धीन है तब तक पूर्व मे नामान्तरकरण संख्या 3583
को तहसीलदार द्वारा बदलने का कोई अधिकार नही है। चूंकि अभी रास्ते का उपयोग उपभोग
खातेदारों ने उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनूं मे एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश
कि उनके खेतों मे जाने वाला रास्ता जो कायम था उसको कुछ व्यक्तियों ने मौके पर बंद
कोशिश की है। इसलिए संभागीय आयुक्त का निर्णय दिनांक 11.12.2019 प्रकरण को पुनः
मौके पर रास्ते का निरीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करे परन्तु कुछ असामाजिक तत्व इस
रास्ते को बंद करने पर आमादा है। अभी दिनांक 26.08.2020 को इस रास्ते पर पडने वाला
श्री विनोद कुमार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को निवेदन किया कि कुछ व्यक्ति पटवारी से
उनके नामान्तरकरण मे इस रास्ते की भूमि को खातेदारी मे दर्ज करवाकर रास्ते की भूमि पर
कार्य चालू किया है तो खातेदारों ने इसका विरोध करते हुए उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र
फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को रूकवाया है। अभी रास्ता चालू है ऐसी
तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा दिनांक 12.02.2020 को नया नामान्तरकरण संख्या 4157 दर्ज कर
भूमि का हटा कर उसमे बारानी भूमि खातेदारी की दर्शाकर विधि के नियम [illegible] कार्य
के तरफ तो तहसीलदार व हल्का पटवारी उपखण्ड अधिकारी को उक्त [illegible] की
की है जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी मे दिनांक 09.12.2016 [illegible]
हटाने का आदेश दिया था अब इसके विपरीत संभागीय आयुक्त के आदेश से रास्ते की भूमि के
को हटा दिया गया जैसा कि संभागीय आयुक्त के निर्णय को देखते हुए स्पष्ट है कि संभागीय
प्रकरण को रिमांड किया है। सम्पूर्ण रूप से निस्तारण नही किया है व दोनों पक्षों को साक्ष्य
हेतु उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनूं को पुनः भेजा है ऐसी स्थिति मे व्यक्तिगत रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:32:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

प्रकरण मे व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से रास्ते की भूमि को पुनः दर्ज कर विधि विरूद्व व अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया है। इसलिए संख्या 4157 दिनांक 12.02.2020 को दौराने प्रकरण विचाराधीन तस्दीक किया है उसको जावे। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण संख्या 4157 दिनांक 12.02.2020 की पूर्व मे थी लेकिन दिनांक 26.08.2020 को व इससे पूर्व दिनांक 20.08.2020 को प्रचलित रास्ते रोक कर निर्माण कार्य की कोशिश करने की जानकारी हुई व उसके बाद अपीलान्ट दस्तावेज व नकल निकला कर उक्त नामान्तरकरण की सम्पूर्ण जानकारी हुई। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण संख्या की जगह नया नामान्तरकरा संख्या 4157 खातेदारी की भूमि मे दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त जावे व दौराने अपील मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा दिनांक 09.12.2016 खसरा नम्बरान प्रचलित रास्ते को कटान करने का आदेश दिया जिसके फलस्वरूप संभागीय जयपुर मे एक अपील संख्या 323/19 शीर्षक ख्यालीराम बनाम राजस्थान सरकार के नाम से अपील प्रस्तुत की थी जिसमे संभागीय आयुक्त ने दिनांक 11.12.2019 को अपील स्वीकार कर को पुनः उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनूं को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि ने उभय पक्षों को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए का विधि सम्मत निर्णय पारित करे। संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 11.12.2019 के अनुसार की उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनूं मे विचाराधीन है परन्तु इस प्रकरण मे तहसीलदार झुंझुनूं ने दिनांक 21.02.2020 को नामान्तरकरण संख्या 3583 मे खसरा नम्बर 2181, 2186, को पुनः बट्टा नम्बर देते हुए जिसमे खसरा नम्बर 4467/2187, 4468/2186, 4469/2185 नम्बरान् दर्ज कर रकबा क्रमशः 0.06, 0.05, 0.03 की भूमि को पुनः खातेदारी मे दर्ज कर दी की मामला उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनूं मे विचाराधीन है। अतः अपील अपीलान्ट पेश निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 3583 की नामान्तरकरा संख्या 4157 खातेदारी की भूमि मे दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का कर कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4157 दिनांक 12.02.2020 बाद नियमानुसार भरा गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही है। अतः अपील अपीलान्ट करमाई जावे।

बहस के दौरान विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 व 3 ने वकील अपीलान्ट के का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण नियमानुसार किया गया है जिसमे कोई कानूनी त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर । प्रकरण में मातहत द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनांक 11.12.2019 के निर्णय दिनांक 11.12.2019 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 4157 दिनांक 12.02.2020 को किया है। उक्त माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.12.2019 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड झुंझुनू के आदेश दिनांक 09.12.2016 को निरस्त किया गया है तथा प्रकरण सुनवाई हेतु किया गया है। जब आदेश दिनांक 09.12.2016 निरस्त हो चुका है तो उसकी पालना में दर्ज आदेश भी स्वतः ही निरस्त हो गये है। अदालत मातहत ने नामान्तकरण दर्ज कर न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:32:59 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी झुंझुनू के आदेश दिनांक 09.12.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल की है। नामान्तरकरण
scal कार्यवाही है, जिससे हकूक तय नहीं होते है। प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।
अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण संख्या 4157 पर पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 में हम
कार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना
की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय
के प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता
दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/03/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:32:59 IST
Reason: SelfAttested